

United Nations Organisation(Part-3)

For :U.G. Part-2,Paper-4

संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंग

3. आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (Economic and Social Council)

आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के 27 सदस्य हैं जिनमें 9 का चुनाव महासभा प्रतिवर्ष तीन साल की अवधि के लिए करती है। इसके सदस्य दोबारा चुनाव भी लड़ सकते हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद में समान बहुमत के आधार पर मतदान होता है और प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है। इसके निम्नलिखित कार्य हैं:

1. महासभा द्वारा अधिकृत संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियों के लिए जवाबदेह होना,
2. अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य संबंधी तथा अन्य संबद्ध विषयों पर रिपोर्ट और सुझाव देना तथा अध्ययन की व्यवस्था करना,
3. सबके लिए मानवीय अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं का पालन करना और उनके प्रति सम्मान को बढ़ावा देना

4. अपने आंतरिक विषयों पर महासभा में विचारार्थ मसौदे तैयार करना और इसके लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बुलाना
5. संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों के लिए महासभा द्वारा स्वीकृत और विशेष प्रार्थना पर विशेष शाखाओं के लिए काम करना तथा जिन मामलों में परिषद का संबंध होता है उनके विषय में गैर सरकारी संगठनों से सलाह लेना

4. ट्रस्टीशिप परिषद (Trusteeship Council)

ट्रस्टीशिप परिषद में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रशासित इलाकों के सदस्य, इन इलाकों का प्रशासन न चलाने वाले सदस्य तथा अन्य बहुत से ऐसे भी सदस्य होते हैं जिन्हें महासभा 3 वर्ष के लिए चुनकर भेजती है। परिषद द्वारा निर्वाचित सदस्य अवधि समाप्त होने पर पुनः चुनाव के लिए वे खड़े हो सकते। ट्रस्टीशिप परिषद में मतदान समान बहुमत के आधार पर होता है। इसमें प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता। इसके निम्नलिखित कार्य हैं :

1. अपने अधीनस्थ इलाकों के प्रशासन की देखभाल करना,
2. अपने अधीनस्थ इलाकों के निवासियों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक प्रगति के लिए

प्रश्नावली तैयार करना जिसके आधार पर प्रशासनिक अधिकारियों को हर वर्ष रिपोर्ट सौंपा जाता है।

5. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice)

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य न्यायिक संस्था है। इसका कार्य संचालन चार्टर के अभिन्न अंग के अधिनियम के अनुसार होता है। यह न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों के लिए स्वतः खुला हुआ है।

1. इस न्यायालय में **15** न्यायाधीश होते हैं जिन्हें **सदस्य** कहा जाता है।
2. महासभा और सुरक्षा परिषद स्वतंत्र रूप से मतदान द्वारा उनका निर्वाचन करती है। न्यायाधीशों का चुनाव उनकी राष्ट्रियता के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर किया जाता है।
3. एक ही देश के दो नागरिक एक ही समय में न्यायाधीश नहीं बन सकते। न्यायाधीश **9 वर्ष** की अवधि के लिए चुने जाते हैं और उनका पुनः निर्वाचन

हो सकता । वे अपने कार्यकाल में कोई अन्य व्यवसाय नहीं कर सकते हैं।

4. महासभा और सुरक्षा परिषद किसी भी कानूनी मामले पर न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं। इसी प्रकार महासभा की अनुमति से संयुक्त राष्ट्र की अन्य शाखाएं तथा विशेष समितियां अपने अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कानूनी मामलों पर सलाह मांग सकती हैं।
5. सदस्य द्वारा भेजे गए मुकदमों, चार्टर में लिखित सभी विषयों अथवा लागू संधियों या परंपराओं को इस न्यायालय को सुनने का अधिकार है।
6. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग (नीदरलैंड) में स्थित है।

To be continued.....

By : ARUN KUMAR RAI

Asst. Professor

P.G.Dept. of History

Maharaja College,Ara.